

**Title: Reg: Need to enact a law on religious conversion.**

**श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर)** : माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ माह पूर्व एक याचिका, जिसमें धर्म परिवर्तनों के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाने या फिर इस अपराध को भारतीय दंड संहिता में शामिल करने की अपील की गई है, पर सुनवाई के दौरान कहा है कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा हो सकता है और यदि जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देकर इस मामले में दखल देने को भी कहा है।

लेकिन, आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति/परिवार, जिनका जन्म हिन्दू परिवार में हुआ है और वे हिन्दू धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार धार्मिक कृत्य करते हैं, लेकिन उन्हें बहला फुसलाकर या लुभावने लालच देकर किसी अन्य धर्म को स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिस धर्म के बारे में उनको तनिक भी जानकारी नहीं होती है। अतः ऐसे व्यक्ति/परिवारों द्वारा किया गया धर्मांतरण, जिन्हें उस धर्म के बारे में तनिक भी जानकारी अथवा ज्ञान नहीं है, उनके द्वारा किए गए धर्मांतरण को कानूनी वैधता किसी भी स्थिति में नहीं मिलनी चाहिए।

अतः उपर्युक्त तथ्यों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय स्तर पर धर्मांतरण से संबंधित एक सख्त अधिनियम बनाया जाए।